



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 31.05.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 28.05.2026 को थाना खोडा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि उसके भाई सूर्यप्रताप को असद द्वारा पेट में चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है जिसका ईलाज फोर्टिज अस्पताल नोएडा में चल रहा है । प्राप्त तहरीर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना खोडा पुलिस द्वारा धारा 352/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए टीम गठित कर सीसीटीवी व मैनुअल इनपुट के आधार पर विवेचना के दौरान 1-असद पुत्र नवाब 2-नवाब पुत्र नामालूम 3.फरान पुत्र नामालूम 4-आतिफ पुत्र नामालूम 5-सारिक मेवाती पुत्र नामालूम व अन्य लोग नाम पता अज्ञात को नामजद किया गया तथा दिनांक 30.05.2026 को उपचार के दौरान सूर्यप्रताप की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी । जिसके क्रम में आज दिनांक 31.05.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1.नवाब पुत्र शेर अली निवासी लोक प्रिय विहार खोडा थाना खोडा गाजियाबाद 2.फरहान पुत्र अगवान अली निवासी गली न0 3 नवनीत विहार खोडा थाना खोडा गाजियाबाद 3.आतिफ पुत्र ताज उर्फ बाबू निवासी चौधरी चरण सिंह गेट के पास खोडा थाना खोडा गाजियाबाद को चौधरी चरण सिंह गेट के पास से गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 30/31.05.2026 की रात्रि को असद पुत्र नवाब पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त फरहान ने बताया कि मेरी अतीक पुत्र ताज उर्फ बाबू नि0 चौधरी चरण सिंह गेट के पास खोडा थाना खोडा गाजियाबाद , सारिक मेवाती पुत्र साबिर नि0 नवनीत विहार थाना खोडा गा0बाद ,असद पुत्र नवाब नि0 लोकप्रिय विहार थाना खोडा गा0बाद व सूर्यप्रताप पुत्र कोशलेन्द्र चौहान निवासी नवनीत विहार खोडा गा0बाद के साथ दोस्ती थी । दिनांक 28.05.26 को समय 15.00 बजे बाईक चलाने को लेकर असद का सूर्यप्रताप से झगड़ा हो गया था । असद ने ये बात अपने पिता नवाब व हमें बतायी थी । तब हमने इसे सबक सिखाने की योजना बनाई और समय करीब 15.30 बजे सूर्यप्रताप को नवनीत विहार गली नं0 4 में घेर लिया । मैंने असद को चाकू दिया और असद के पिता ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे तभी असद ने सूर्यप्रताप के पेट में चाकू घोंप दिया जब सूर्यप्रताप लहलुहान होकर गिर पड़ा तो हम सभी उसे मरा समझ कर वहाँ से चले गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. नवाब पुत्र शेर अली निवासी लोक प्रिय विहार खोडा थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष ।
2. फरहान पुत्र अगवान अली निवासी गली न0 3 नवनीत विहार खोडा थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।
3. आतिफ पुत्र ताज उर्फ बाबू निवासी चौधरी चरण सिंह गेट के पास खोडा थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।



पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD



सेवा, सुरक्षा, समर्पण

प्रेस नोट

थाना खोडा व इन्द्रापुरम् पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक-31.05.2026

थाना खोडा क्षेत्रांतर्गत 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की चाकू से गोदकर हत्या करने का मुख्य आरोपी व 50 हजार इनामिया असद पुत्र नबाव निवासी मदरसे वाली गली थाना खोडा गाजियाबाद थाना खोडा व इन्द्रापुरम् पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेरा।

- दिनांक 28/05/2026 को वादी यश पुत्र कौशलेन्द्र चौहान द्वारा थाना खोडा पर इस आशय से तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 28/05/2026 को समय करीब 15.30 बजे असद पुत्र नबाव नाम के लडके द्वारा मुकदमा वादी के भाई सूर्यप्रताप चौहान पर जान से मारने की नियत से चाकू से पेट पर वार किया गया जिससे मुकदमा वादी का भाई सूर्यप्रताप चौहान उर्फ सूर्या गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार हेतु फोर्टिस अस्पताल नोयडा में भर्ती कराया गया।
- उक्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर मुकदमा अपराध संख्या 225/2026 धारा 352/109(1) बीएनएस बनाम असद पंजीकृत किया गया था। दौराने इलाज मुकदमा वादी के भाई सूर्यप्रताप उर्फ सूर्या की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस को धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया।
- घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना खोडा तथा इन्द्रापुरम् पुलिस को उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
- **घटनाक्रम – दिनांक 31/05/2026**

आज दिनांक 31/05/2026 को थाना खोडा तथा इन्द्रापुरम् पुलिस को द्वारा मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त का मुख्य अभियुक्त असद मोटरसाईकिल पर देखा गया है। मुखबिर को हिदायत देकर अभियुक्त पर नजर रखने हेतु रवाना किया गया तथा सूचना पर थाना खोडा व इन्द्रापुरम् पुलिस के द्वारा थाना इन्द्रापुरम् क्षेत्र मे अभियुक्त की धरपकड व घेराबंदी मे मामूर हुए। मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त असद अपने एक अन्य साथी के साथ आ रहा है। उक्त सूचना पर थाना खोडा व इन्द्रापुरम् पुलिस के द्वारा वसुन्धरा टी प्वाइंट पर घेराबंदी व चैकिंग की जा रही थी।

तभी एक संदिग्ध बाईक पर दो बाईक सवार ग्रीन बैल्ट की ओर से आते दिखाई दी जिसे टार्च की रोशनी डालकर रुकने का ईशारा किया गया लेकिन बाईक सवार ने अपनी वसुन्धरा सैक्टर एक के खाली मैदान की ओर बाईक मोड़ दी जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया कि बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किये गये व मोटरसाईकिल की गति तेज होने से फिसलकर गिरने के बाद भी बदमाश द्वारा आड लेकर पुलिस टीम पर अपने हाथ में लिये तमंचों से बारी बारी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जमीनी व अपनी सरकारी गाड़ियों की आड लेकर जवाबी कार्यवाही की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया जिसकी पहचान **असद पुत्र नबाव निवासी मदरसे वाली गली थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद** के रूप में हुई जिसको उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया दौरान उपचार घायल बदमाश असद उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। बदमाश द्वारा की गयी फायरिंग में का० अनुराग रावत गोली लगने से घायल हुआ है। दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिनको पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा कांबिंग की जा रही है।

अभियुक्त का नाम एवं पता-

असद पुत्र नबाव निवासी मदरसे वाली गली थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

मुठभेड़ के दौरान बरामदगी

1. 01 देशी तमंचा .315 बोर
2. 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
3. 07 खोखा कारतूस .315 बोर
4. 01 बाइक हीरो एक्सट्रीम 125 बिना नंबर (दिल्ली से चोरी)

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम

- थाना खोडा व इन्द्रापुरम् पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त असद उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर मु०अ०सं० 225/2026 पंजीकृत है।

उक्त मुठभेड़ के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना इन्द्रापुरम् पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संपादित की जा रही है।